न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 1/25/2016 दायर दिनांकः— 15/02/2016

जीसीएमएस नं0:—2016/00077 निर्णय दिनांकः 13/06/2024

वउनवान

1. देवीराम पुत्र तोफानी जाति जाटव निवासी पीपलखेडा
2. करन पुत्र धन्ना जाति जाटव निवासी पीपलखेडा
3. कुंवरसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जाटव निवासी पीपलखेडा
4. अजीत पुत्र मोहरसिंह जाति जाटव निवासी पीपलखेडा

तहसील कठूमर जिला अलवर।

वादीगण

बनाम

1. चेतराम पुत्र हरेती जाति जाटव निवासी पीपलखेडा
2. रामपाल पुत्र हरेती जाति जाटव निवासी पीपलखेडा
3. सुमरत राम पुत्र हरेती जाति जाटव निवासी पीपलखेडा
तहसील कठूमर जिला अलवर
4. सब रजिस्ट्रार कठूमर तहसील कठूमर

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकारारहक व हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा— 88, 89, 188 राजस्थान क़ाश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः—श्री भागचन्द जैन अधिवक्ता वादीगण

—:निर्णयः—

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 22 रकबा 0.76 हैक्ट0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 21 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 23 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा ग्राम समूँची तहसील कठूमर में स्थित है। वादीगण ने

13.6.24

दावा के पैरा सं0 2 में परिवार का सजरा अंकित किया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 22 वाके ग्राम समूँची वादी के बाबा मुकन्दी व चाचा ख्याली के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जो आराजी मुकन्दी व ख्याली ने जब्ती विश्वेदारी के समय दवाया था जिस पर जब्ती विश्वेदारी के समय साबिक खसरा नम्बर 21 पर घीसा पुत्र ख्याली एवं साबिक खसरा नम्बर 23 पर मुकन्दी पुत्र हरफूल जाति चमार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। मुकन्दी के फौत हो जाने के वाद खसरा नम्बर 23 पर मुकन्दी के तीन लडके तोफानी, धन्ना व हरेती काबिज हो गये। जिस साबिक खसरा नम्बर 23 में 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 का, 1/3 हिस्सा वादी सं0 2 ला0 4 व तरतीवी प्रतिवादी का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण का है तथा मुताबिक हिस्सा काश्त करते चले आ रहे है। साबिक खसरा नम्बर 21 पर घीसा पुत्र ख्याली के ना औलाद मृत्यु पर 1/3 हिस्सा पर वादी सं0 1 तथा 1/3 हिस्सा पर वादी सं0 2 ला0 4 व तरतीवी प्रतिवादी वो शेष 1/3 हिस्सा पर असल प्रतिवादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व मौके पर काबिज है। बन्दोबस्त कर्मचारियान ने दौराने बन्दोबस्त खसरा नम्बर 22 को गलत रूप से प्रतिवादीगण के पिता हरेती पुत्र मुकन्दा के नाम दर्ज कर दिया, जो हाल बन्दोबस्त इन्द्राज गलत है तथा वादीगण के खिलाफ शून्य है तथा वादीगण मुताबिक हिस्सा विवादित आराजी की घोषणा कराने के अधिकारी है। गलत इन्द्राजात के आधार पर प्रतिवादीगण वादीगण को 2/3 हिस्सा की आराजी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है तथा रहन वय करने की धमकी देते है। अतः वादीगण ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ला0 3 व उनके अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर दिनांक 30/9/2022 को उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं0 4 जबाव दावा पेश नहीं करना चाहते। तरतीवी प्रतिवादी सं0 5 का नाम वादीगण के प्रार्थना पत्र पर तर्क किया गया।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत् 2018 किता 2 प्रदर्श–2 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी संवत् 2018 प्रदर्श–4 नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 पेश की है। वादीगण ने अपने समर्थन में स्वंय

गवाह वादी देवीराम पी डब्ल्यू 1, गवाह पी डब्ल्यू 2 रामचरण, पी डब्ल्यू 3 रामखिलाडी के बयान कराये।

हमने वादीगण अभिभाषक व पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर की बहस सुनी। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड बयान गवाहान का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एंव गवाहान के बयान से वाद वादीगण साबित है। अतः दावा वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जावे। मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से यह सही है कि हाल खसरा नम्बर 22 का साबिक खसरा नम्बर 21 व 23 है। जमाबन्दी संवत् 2017 में साबिक खसरा नम्बर 23 मुकन्दी पुत्र हरफूल चमार पीपल खेडा खातेदार व काश्त हरेती व साबिक खसरा नम्बर 21 घीसा पुत्र ख्याली चमार सा0 पीपलखेडा दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2028 में हाल खसरा नम्बर 22 हरेती पुत्र मुकन्दी कौम चमार सा0 पीपलखेडा दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 में खसरा नम्बर 22 चेतराम, रामपाल, सुमतराम जाटव सा0 पीपलखेडा राहिन पी एन बी समूँची की खातेदारी में दर्ज है। वादीगण का कथन रहा कि विवादित आराजी पक्षकारान की बुजुर्गानी कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है जिसमें 1/3 हिस्सा देवीराम का 1/3 हिस्सा करन, कुवरसिंह, अजीत व श्रीचन्द का व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 ला0 3 का है बन्दोबस्त विभाग ने इन इन्द्राजों को बदल कर प्रतिवादीगण के पिता हरेती की खातेदारी में दर्ज कर दिया जिन तथ्यों को वादीगण को अपनी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित करना था लेकिन वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2018 में साबिक खसरा नम्बर 23 मुकन्दी पुत्र हरफूल चमार बकाश्त हरेती व खसरा नम्बर 21 घीसा पुत्र ख्याली के नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य में जो गवाहान के बयान रेकार्ड कराये है वो विश्वसनीय प्रतीत नही होते है।वादीगण अपने वाद को साबित करने में असफल रहे है। अतः दावा वादीगण साबित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

13.6.24

—:आदेश:—

अतः दावा वादीगण बाबत आराजी खसरा नम्बर हाल 22 रकवा 0.75 हैक्ट0 वाके ग्राम समूँची तहसील कठूमर बाबत साबित ना होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.6.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 1 / 25 / 2016 दायर दिनांकः— 15 / 02 / 2016

जीसीएमएस नं0ः—2016 / 00077 निर्णय दिनांकः 13 / 06 / 2024

वउनवान

1. देवीराम पुत्र तोफानी जाति जाटव निवासी पीपलखेडा
2. करन पुत्र धन्ना जाति जाटव निवासी पीपलखेडा
3. कुंवरसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जाटव निवासी पीपलखेडा
4. अजीत पुत्र मोहरसिंह जाति जाटव निवासी पीपलखेडा
   तहसील कठूमर जिला अलवर।

डिक्रीदारान

बनाम

1. चेतराम पुत्र हरेती जाति जाटव निवासी पीपलखेडा
2. रामपाल पुत्र हरेती जाति जाटव निवासी पीपलखेडा
3. सुमरत राम पुत्र हरेती जाति जाटव निवासी पीपलखेडा
   तहसील कठूमर जिला अलवर
4. सव रजिस्ट्रार कठूमर तहसील कठूमर

मदयूनान

दावा इस्तकारारहक व हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा— 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955—

अतः दावा वादीगण बाबत आराजी खसरा नम्बर हाल 22 रकवा 0.75 हैक्ट0 वाके ग्राम समूँची तहसील कठूमर बाबत साबित ना होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 13.06.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर से जारी की गई।

13-6

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)